

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

नियुक्ति 14। अनुभाग

संख्या - 1855 / दो - 4-93-3211/09

लखनऊ, दिनांक 26 अगस्त, 1993

विज्ञप्ति

नियुक्ति

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में भारी हेतु प्रतियोगिता त्वंक परीक्षा, 1989 के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उक्त सेवा में अस्थायी मुंसिफ के पद पर इस प्रतिवंश के साथ नियुक्त करके उनके नाम के सम्बूधा उल्लिखित न्यायालय/जिले में तैनात किया जाता है कि उनकी नियुक्तियाँ माझ न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन विशेष याचिका संख्या - निल/93- लोक सेवा आयोग, 30 प्र० बनाम विनय छारे एवं रिट याचिका संख्या - 32348/92- अमरेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य बनाम 30 प्र० सरकार व अन्य पर अन्तिम नियाय के अधीन होगी तथा उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता पहले नियुक्त किये गये अधावा बाद में नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थियों के साथ बाद में निर्धारित की जायेगी : -

क्रम सं० अभ्यर्थी का नाम

अस्थाई मुंसिफ के पद पर तैनाती का न्यायालय/जनपद

2

3

1. सर्वश्री अविनाशा सक्सेना	प्रतापगढ़
2. , जीतेन्द्र कुमार सिंह	गाजीपुर
3. , इरफान कमर	डीडीहाट, पिथौरागढ़
4. , कुवाणी रंजन अग्रवाल	गाजीपुर
5. , सुरेन्द्र सिंह	मैनपुरी
6. , सुनील कुमार गुप्ता	छुजाँ, बुलन्दशाहर
7. , पीयूषा वर्मा	अमरोहा, मुरादाबाद
8. , ललतू सिंह	फर्रुखाबाद
9. , श्याम जीत यात्रव	जौनपुर
10. , जय प्रकाश सिंह	बलिया
11. , राम मिलन सिंह	प्रतापगढ़
12. , रमाकान्त सेठ	बलिया
13. , अशोक कुमार	संभल, मुरादाबाद
14. , रवीन्द्र कुमार	वारांकी
15. , हरीश्वर त्रिपाठी	सोनभद्र
16. , पंकज कुमार उपाध्याय	कसिया, देवरिया
17. , सत्य प्रकाश त्रिपाठी	मोहम्मदाबाद, गाजीपुर

- 2- निकंक, उच्च न्यायालय, इलाहावाद को मा०उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-८१४/ज०आर०स्त।/९३, दिनांक १० अगस्त, १९९३ के संदर्भ में उक्त विज्ञप्ति की ६० अतिरिक्त प्रतियों तथा संवैधानिक अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भारे गये आवेदन प्रपत्रों स्वं उनके संलग्नकों सहित इस मंतव्य के साथ प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी मा०उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में विना समुचित कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी स्थिति से शासन को तुरन्त अवगत कराने का कष्ट करें।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद को आयोग के पत्र सं०इ०-१६।/२/इ०-२/०८-८९ दिनांक २२/१२/९२, सं०इ०-१६।/२/इ०-२/०८-८९ दिनांक जनवरी, ९३, सं०इ०-२२८७०२/इ०-२/०८-८९ दिनांक ३७३७९३, के संदर्भ में।
- 4- संयुक्त निदेशाक, कोडागार निदेशालय, उ०प्र०शिविर कार्यालय, नवीन कोडागार भवन, इलाहावाद।
- 5- संवैधानिक जिला तथा सब न्यायाधीशों को इस मंतव्य सहित प्रेषित कि कि वे अपने जनपद में तैनात किए जा रहे अभ्यर्थियों द्वारा योगदान प्रस्तुत करने की स्थिति से निकंक, उच्च न्यायालय, इलाहावाद तथा शासन के नियुक्त अनुभाग-५ को तुरन्त अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- निदेशाक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ०प्र०, रा०१/१९विवास छान्डा०, गोमती नगर, लखनऊ
- 7- सचिव, न्याय विभाग तथा विधि परामर्शी, उ०प्र०शासन
- 8- न्याय अधीनस्थ न्यायालय अनुभाग
- 9- संवैधानिक अभ्यर्थी परे संलग्न ता०लिका में अंकित है, कि इस निदेशा सहित प्रेषित कि वह अपनी तैनाती के संकंक, उच्च न्यायालय, इलाहावाद से तत्काल सम्पर्क स्थापित करें तथा मा०उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। यदि विना समुचित कारणों के वह मा०उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में उसका कोई दावा फिर इस सेवा में नियुक्त के लिए नहीं रहेगा।
- अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है तो उसकी लिखित सूचना निकंक, उच्च न्यायालय, इलाहावाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्त अनुभाग-५, को तत्काल भेजें।
- उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि मूँसिफ के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थाई सम से इस प्रतिवन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशाक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ से निदेशा प्राप्त होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तथा जब तक वह मूँसिफ के पद पर स्थायी सम से नियुक्त नहीं हो जाता है वह अस्थाई कर्मचारियों पर लागू शासकीय अधिसूचना संख्या-२०/१/७४-नियुक्ति-३, दिनांक ११ जून, १९७५ में दी गयी शातों के अधीन रहेंगे। कार्यभार ग्रहण करने के लिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता भाटि भी अनुमत्य नहीं होगा।

आज्ञा से,

Omg
कालिका प्रसाद।
सचिव